

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी— कमर चौधरी

आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 14/2016 प्रा.पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970

रघुनाथ पुत्र हणुता मीना जाति मीना निवासी काली पहाडी तहसील व जिला दौसा

..प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा
2. उपखण्ड अधिकारी, दौसा तहसील दौसा जिला दौसा
3. विकास अधिकारी, दौसा पंचायत समिति दौसा तहसील दौसा जिला दौसा
4. सरपंच ग्राम पंचायत काली पहाडी तहसील दौसा जिला दौसा
5. बट्टी पुत्र गिरधारी जाति मीना निवासी कालीपहाडी तहसील व जिला दौसा

..अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 (4) कृषि प्रयोजनार्थ भू आवण्टन नियम-1970 के तहत
निरस्त करवाने आवंटन आदेश दिनांक 8.6.1992

- उपस्थित:-
1. श्री सतीश पारीक, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
 2. श्री मिट्ठन लाल गुर्जर, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 5 की ओर से।
 3. श्री चन्दर सिंह पैरोकार सरकार।

निर्णय



दिनांक: 28.6.2023

संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 08.06.1992 को ग्राम काली पहाडी तहसील दौसा के खसरा नंबर 1886 रकबा 0.50 है0 भूमि का आवंटन अप्रार्थी बट्टी को किया गया। इसी आवंटन आदेश से असंतुष्ट होकर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 (4) भू-आवण्टन नियम-1970 के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी ग्राम कालीपहाडी का मूल निवासी है जो ग्राम कालीपहाडी के साबिक खसरा नंबर 523/1 पर लगभग 50 वर्षों से काबिज काशत करता चला आ रहा है। आज भी प्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा काशत चला आ रहा है। ग्राम कालीपहाडी के साबिक खसरा नंबर 523/1 रकबा 152 बीघा 17 बिस्वा राजकीय कृषि योग्य भूमि थी। उक्त भूमि पर प्रार्थी 50 सालों से काबिज है और खसरा परिवर्तनशील संवत 2041 में प्रार्थी का कब्जा 04 बीघा भूमि पर काशत करता चला आ रहा है और राज्य सरकार को निर्धारित लगान जमा कराता चला आ रहा है। इसलिए अपीलांट का खसरा परिवर्तनशील में कब्जे का रिकार्ड साबित है। दिनांक 28.8.2016 को रेस्पॉं0 सं0 5 द्वारा प्रार्थी को उक्त भूमि को खाली करने की धमकी देने पर प्रार्थी को उक्त आवंटन की जानकारी हुई। अप्रार्थी सं0 5 ने गैर कानूनी तरीके से भूमि का आवंटन कराया गया है जो निरस्तनीय है। अप्रार्थी सं0 5 ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है इसलिए भी उक्त आवंटन निरस्त योग्य है। उक्त भूमि का साबिक खसरा नंबर 523/1 रकबा 152 बीघा 17 बिस्वा है जिसके मिलान क्षेत्रफल के अनुसार 1886 खसरा नंबर तैयार करके अप्रार्थी सं0 5 के रकबा 0.50 है0 भूमि का आवंटन गैर कानूनी तरीके से किया गया है। उक्त भूमि पर अप्रार्थी सं0 5 का कब्जा पूर्व में कभी भी नहीं रहा है तथा प्रार्थी की उक्त भूमि पर काशत करता चला आ रहा है और उक्त कब्जे को हटाने हेतु आवंटन कमेटी या अप्रार्थी सं0 01 से लेकर 4 ने कब्जा हटाने संबंधी नोटिस जारी नहीं

.....निरन्तर 2 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

किया गया है। भूमि आवंटन के आवेदन पत्र पर कोई तारीख अंकित नहीं है, जिससे स्पष्ट रूप से जाहिर होता है कि आवंटन अवैध एवं नियम विरुद्ध तरीके से किया गया है। पटवारी हल्का ने जो अप्रार्थी सं० 5 के पक्ष में कब्जे की रिपोर्ट का उल्लेख किया है उस रिपोर्ट में संवत् 2047 में आवंटी का कब्जा दिखाया है जबकि प्रार्थी का कब्जा साबिक खसरा नंबर 523/1 पर संवत् 2041 से पूर्व ही कब्जा चला आ रहा है जो खसरा परिवर्तनशील में प्रार्थी का नाम दर्ज है कब्जे का भी उल्लेख है। पटवारी हल्का ने आवंटी से मिलीभगत करके झूठी रिपोर्ट के आधार पर भूमि का आवंटन कराया गया है जो निरस्त योग्य है। अप्रार्थी सं० 5 के भूमि आवंटन के आवेदन पत्र पर भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट में जांच संबंधी कोई रिपोर्ट नहीं है। पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक ने प्रार्थी के कब्जे संबंधी तथ्य छिपाये गये हैं तथा बिना खसरा परिवर्तनशील देखे बिना झूठी रिपोर्ट के आधार पर भूमि का आवंटन कराने के लिए आवंटन योग्य भूमि बताई है जो असत्य है। आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर पूरी कोरम के हस्ताक्षर नहीं है। आवंटन कमेटी की सिफारिश पर मात्र तहसीलदार, विकास अधिकारी एवं सरपंच, ग्राम पंचायत के हस्ताक्षर हैं। इसलिए पूर्ण कोरम के हस्ताक्षर नहीं होने से भी उक्त आवंटन निरस्तनीय है। प्रार्थी उक्त भूमि पर लगभग 50 सालों से काबिज है। और हल्का पटवारी ने आवंटी से मिलीभगत करके कब्जामुक्त की झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिस कारण से भी आवंटन निरस्त योग्य है। अप्रार्थी सं० 5 को साबिक खसरा नंबर 523/1 वर्तमान खसरा नंबर 1886 रकबा 0.50 है। भूमि दिनांक 8.6.1992 को गैर कानूनी तरीके से विधि विरुद्ध आवंटन नियमों को ताक में रखकर झूठी रिपोर्ट करके अप्रार्थी सं० 1 से 5 ने मिलीभगत करके भूमि आवंटित की गई है। अधिवक्ता प्रार्थी ने खसरा परिवर्तनशील संवत् 2041 रबी खसरा नंबर 523/1 की प्रति प्रस्तुत की जाकर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 8.6.1992 को अप्रार्थी बट्टी के पक्ष में साबिक खसरा नंबर 523/1 हाल खसरा नंबर 1886 रकबा 0.50 है। का किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे तथा राज० सरकार के परिपत्र क्रमांक:एफ6(10)राज/गुप-4/77 दिनांक 23.4.1977 के तहत प्रार्थी के नाम प्रश्नगत भूमि का नियमन किया जावे।

पैरोकार सरकार की बहस में दलील है कि आवंटन सलाहकार समिति कैम्प कालीपहाडी में दिनांक 8.6.1992 को पूर्ण कोरम में अप्रार्थी सं० 5 बट्टी पुत्र गिरधारी जाति मीना निवासी कालीपहाडी को ग्राम कालीपहाडी स्थित आराजी खसरा नंबर 1886 रकबा 0.50 है। भूमि का आवंटन किया गया था। आवंटन के पश्चात प्रश्नगत भूमि पर काबिज काश्त होने से अप्रार्थी बट्टी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा खाली भूमि जो कि आवंटन योग्य थी का ही आवंटन किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गलत आधारों पर प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं० 5 ने बहस में दलील दी कि अप्रार्थी बट्टी को आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा ग्राम कालीपहाडी स्थित आराजी खसरा नंबर 1886 में से 0.50 है। भूमि का दिनांक 8.6.1992 को आवंटन किया गया था। भूमि आवंटन से पूर्व अप्रार्थी बट्टी के हिस्से में 1.37 है। भूमि दर्ज थी, इस प्रकार अप्रार्थी भूमिहीन की श्रेणी में आता था। अप्रार्थी बट्टी के द्वारा भूमि आवंटन होने पर काबिज काश्त होने के कारण खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं। भूमि वर्तमान में अप्रार्थी बट्टी के खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त होने पर आवंटन आदेश को निरस्त नहीं किया जा सकता है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में यह थी कथन किया कि साबिक खसरा नंबर 523/1 का रकबा 152 बीघा 17 बिस्वा था जो कि काफी बड़ा भू भाग होता है। प्रार्थी का उक्त आवंटित भूमि पर आवंटन से पूर्व में भी संवत् 2047 में खरीफ में कब्जा रहा है। भूमि आवंटन के बाद भी अप्रार्थी बट्टी का उक्त आवंटित भूमि पर निरंतर कब्जा काश्त रहा है। इस कथन के समर्थन में अधिवक्ता अप्रार्थी सं० 5 के द्वारा खसरा गिरदावरी संवत् 2047 से 2050, संवत् 2051 से 2054, संवत् 2055 से 2058, संवत् 2059 से 2062, संवत् 2063 से 2066, 2067 से

2070 की प्रति प्रस्तुत की गई। अधिवक्ता अप्रार्थी ने यह भी दलील दी कि प्रार्थी के द्वारा भूमि आवंटन आदेश को 24 वर्ष के अत्यधिक विलंब से चुनौती दी गई है। विलंब से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने को कोई तर्कसंगत कारण भी नहीं बताया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 8.6.1992 को अप्रार्थी बट्टी के पक्ष में ग्राम कालीपहाडी स्थित आराजी खसरा नंबर 1886 रकबा 0.50 है। भूमि का आवंटन किया गया था। भूमि आवंटन के बाद पटवारी के द्वारा अप्रार्थी बट्टी को दिनांक 5.8.1992 को कब्जा संभलाना भी प्रमाणित होता है। नकल मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि भूमि खसरा नंबर 1886 का साबिक खसरा नंबर 523/1 था जिसका रकबा 152 बीघा 17 बिस्वा था। पत्रावली में संलग्न मूल आवंटन पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवंटन कमेटी ने प्रश्नगत भूमि का पूर्ण कोरम में आवंटन किया गया है। आवंटन के पत्रावली में शामिल खसरा परिवर्तनशील संवत 2041 के अवलोकन से प्रार्थी का संवत 2041 में उक्त आराजी पर कब्जा होना प्रमाणित होता है, किन्तु खसरा गिरदावरी संवत 2047 से 2050, संवत 2051 से 2054, संवत 2055 से 2058, संवत 2059 से 2062, संवत 2063 से 2066, 2067 से 2070 में प्रश्नगत भूमि पर अप्रार्थी सं० 5 का कब्जा प्रमाणित होता है। अप्रार्थी बट्टी को भूमि आवंटन होने के बाद भूमि पर प्रार्थी का कब्जा होने बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे प्रार्थी की बात को बल मिलता हो। प्रार्थी का यह कथन सरासर गलत है कि प्रश्नगत भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त भूमि आवंटन से पूर्व एवं वर्तमान में भी कब्जा है। साथ ही वर्ष 1992 में किये गये भूमि आवंटन आदेश को 24 वर्ष बाद चुनौती दी गई है, एवं अत्यधिक विलंब से आवंटन आदेश को चुनौती दिये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण भी नहीं बताया गया है। अप्रार्थी बट्टी को आवंटन की शर्तों की पालना किये जाने पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात फ़ोड या मिसरिप्रजेन्टेशन के आधार पर ही आवंटन निरस्त किया जा सकता है, परन्तु हस्तगत प्रकरण में आवंटन में फ़ोड या मिसरिप्रजेन्टेशन होना प्रमाणित नहीं होता है। साथ ही प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में 50 वर्षों से कब्जा होना बताया जाकर भूमि नियमन करने बाबत भी अनुतोष चाहा गया है जो कि इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 नितान्त असत्य एवं गलत आधारों पर प्रस्तुत किया गया है जिसे हम खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र 14 (4) खारिज किया जाता है। अप्रार्थी बट्टी के पक्ष में किया गया आवंटन दिनांक 08.06.1992 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



(कमर चौधरी)

जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 28 जून 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कमर चौधरी)

जिला कलेक्टर, दौसा